COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28397 दिनांक : 21/03/2020

आदेश

राज्य सरकार द्वारा "Rajasthan Epidemic Disease, Covid-19 Regulation 2020" जारी किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु लगातार निर्देश प्रदान किये जा रहे है। कोरना संक्रमण (Covid -19) की प्रभावी रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय हैं। इस हेतू राज्य एवं जिले के बाहर से आने वाले वाहनों के अन्तर्गत आने वाले यात्रियो की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा जांच करने हेतु निम्नानुसार स्थानो पर चैक पोस्ट स्थापित की जाती है।

क्र. स.	चैक पोस्ट का स्थान	कंहा से आने वाले वाहनो के लिए	सम्बन्धित उपखण्ड
1.	बाखासर	गुजरात से	सेड़वा
2.	गांधव (पुलिस चौकी के पास)	गुजरात से	गुड़ामालानी
3	मोकलसर	जालोर से	सिवाना
4.	डोली (टोल नाके के पास)	जोधपुर से	बालोतरा
5.	सिमरखियां	शेरगढ़– फलौदी	बालोतरा
6.	बरियाडा	जैसलमेर से	शिव
7.	राजबेरा	जोधपुर	शिव
8.	रामपुरा (समदडी)	पाली, जोधपुर से	सिवाना
9.	सामुजा	पाली से	सिवाना
10.	खण्डप	जालोर	सिवाना
11.	हीरे की ढाणी	फलसुण्ड से	बायतु
12.	केसुम्बला	रामदेवरा से	बायतु
13.	खारा फांटा	जालोर से	सिणधरी

उपर्युक्त सारणी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, बाड़मेर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं चिकित्सा जांच करने हेतू चिकित्सा टीमों का गठन कर निर्धारित स्थानो पर भिजवाना सुनिश्चित करते हुए पालना से अवगत करावे। यथा सम्भव जिले में प्रवेश करने वाले वाहनो में यात्रियों को अत्यावश्यक हो तो ही प्रवेश दिया जावे अन्यथा बाद समजाईश पुन लौटा दिया जावे। उक्त स्थानो पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी कार्मिको की नियुक्त करेगें तथा चैक पोस्ट संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुये लगातार निरीक्षण करेंगें। इसी प्रकार चैक पोस्ट पर पुलिस विभाग द्वारा चिकित्सा टीमों को आवश्यकतानुसार जाब्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। उक्त टीमें 24 x 7 के तहत कार्यरत रहेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा आवश्यक सामग्री चिकित्सा टीमों को उपलबध करवायेगें।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28398-437 दिनांक : 21/03/2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है :–

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
03. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
05. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
06. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर
07. आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा
08. सोशल मीडिया प्रभारी

जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर